



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:एफ2()परावि/प्रशा.1/RRDS/प्रशिक्षण/2010/ 2193

जयपुर दिनांक:- 8.9.2017

—:आदेश:—

श्रीमती दिपाली शर्मा, परिवीक्षाधीन अधिकारी राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा बैच-2012 हाल आदेशों की प्रतिकक्षा में मुख्यालय द्वारा चयन उपरान्त कार्यग्रहण में अभिवृद्धि लिये जाने के कारण आधारभूत एवं संस्थानिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा की उक्त अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में दिनांक 11.9.2017 को प्रातः 9:30 बजे राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा बैच-2013 के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करें। प्रशिक्षण उपरान्त आयोजित की जाने वाली परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने पर सेवा में नियमितिकरण नहीं किया जावेगा।

(गिरीश पराशर)

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं पदेन महानिदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर ।
3. श्रीमती दिपाली शर्मा, परिवीक्षाधीन अधिकारी राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा बैच-2012 हाल आदेशों की प्रतिकक्षा में मुख्यालय को पालनार्थ ।
4. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
5. आदेश पत्रावली ।

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)